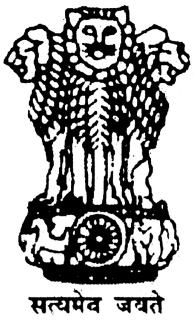

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 651 राँची, गुरुवार, 16 भाद्र, 1938 (श०) / 7 सितम्बर, 2017 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

26 अक्टूबर, 2016

विषय:- उपभोक्ता विवाद निवारण फोरमों में "निबंधक" पद के सृजन की स्वीकृति ।

संख्या - 06/उप०फो० (निबंधक)-08/2015 – 4348-- झारखण्ड राज्य में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु राज्य स्तर पर झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राँची एवं जिला स्तर पर सभी 24 जिलों में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम कार्यरत हैं । वर्तमान में संबंधित जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी, संबंधित जिला उपभोक्ता फोरम के पदेन सचिव होते हैं ।

2. W.P.(PIL) No. 5458 of 2014 with I.A. No. 197 of 2015 श्री सुनील उराँव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 2015 को पारित न्यायादेश में राज्य आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरमों में निबंधक को नियुक्त करने का आदेश दिया गया है ।

3. उक्त वाद के संदर्भ में श्री अजीत कुमार, अपर महाधिवक्ता द्वारा यह सूचित किया गया है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा यह न्यायादेश पारित किया गया है कि राज्य

आयोग एवं कुछ जिलों यथा राँची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, देवघर, बोकारो एवं पलामू के फोरमों में त्वरित रूप से निबंधक की नियुक्ति की जाय । निबंधक की नियुक्ति के संबंध में नियमावली को अंतिम रूप दिये जाने तक न्यायायिक सेवा के सेवानिवृत व्यक्ति को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाय ।

4. उक्त के आलोक मे उपभोक्ता फोरमों के सुदृढ़ एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु सम्प्रति निम्न रूप में पद सृजन किये जाते हैं -

I. झारखण्ड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग हेतु -

क्र० सं०	पदनाम	कोटि	पदों की संख्या	वेतनमान
1	राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग निबंधक	I	1 (एक)	Pay Band - III Pay-15600-39100 G.P. - 6600

II. राज्य के सात यथाः-राँची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, देवघर, बोकारो एवं पलामू जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम हेतु –

क्र० सं०	पदनाम	कोटि	पदों की संख्या	वेतनमान
1	जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम निबंधक	II	07 (सात)	Pay Band - II Pay-9300-34800 G.P. - 5400

III. राँची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, देवघर, बोकारो एवं पलामू में नियुक्ति के संबंध में नियमावली को अंतिम रूप दिये जाने तक सेवानिवृत व्यक्ति को विभाग द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा ।

IV. उक्त पद के सृजन पर कुल रू० 49,58,376/- (रूपये उनचास लाख अन्ठावन हजार तीन सौ छिहत्तर) मात्र का वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा ।

V. संदर्भित ग्रेड पे पर प्राप्त सभी सुविधाएँ इन अधिकारियों को प्राप्त होंगी ।

VI. पद सृजन के पश्चात् सेवा शर्त नियमावली एवं चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया जायेगा ।

VII. राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग निबंधक राज्य आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम निबंधक संबंधित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे ।

5. झारखण्ड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा राँची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, देवघर, बोकारो एवं पलामू जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में पदों के सृजन की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है - नियुक्ति नियमावली के गठन तक सेवानिवृत्त व्यक्तियों की सेवा संविदा के आधार पर वित्त विभागीय संकल्प संख्या 4569/वि॰, दिनांक 5 जुलाई, 2002 एवं 1243/वि॰, दिनांक 28 अप्रैल, 2016 में निहित शर्तों के अनुरूप ही प्राप्त की जायेगी ।

6. उपरोक्त से संबंधित विभागीय संलेख संख्या 4232, दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 पर मंत्रिपरिषद् की बैठक - दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 के मद संख्या-20 के रूप में, स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 651--50